ी-14 फारम सं0-563

ी क्रम ख्या रीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

मालती देवी पति-स्व0 सुदर्शन राम ग्राम-लाखे, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-लाखे, थाना नं0-155, खाता संख्या-34, प्लॉट संख्या-665,666, रकवा-2.50डी0, 2.50डी0 कुल रकवा-05 डी0 भूमि विजय कुमार पिता-बैजनाथ रजक ग्राम-सिलवारकला, पोस्ट-जगन्नाथधाम, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 208/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता विजय कुमार एवं विक्रेता मालती देवी अनुसूचित जाति के अन्तर्गत हैं तथा हजारीबाग के निवासी हैं। आवेदिका को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। प्रश्नगत् भूमि सर्वे रैयती भूमि है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 2.72.14 ए0 भूमि बचेगी। खतियान के अनुसार आवेदित भूमि रंजन भुईया वगै0 के नाम से है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-30/1 पर रंजन भुईयां वगै0 के नाम जमाबंदी कायम है एवं लगान रसीद वर्ष 2019-20 तक निर्गत् है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, संदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता मालती देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2018/125380 दिनांक 08.03.2018 तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग के द्वारा निर्गत् ऑनलाईन जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2018/131163 दिनांक 28.02.2018 और क्रेता विजय कुमार का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत् स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2020/135255 दिनांक 08.06.2020 एवं अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2020/24576 दिनांक 13.06.2020 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प[illegible] कार्रवाई [illegible] टिप्पणी ता[illegible]
1	2	3
	कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-लाखे, थाना नं0-155, खाता संख्या-34, प्लॉट संख्या-665, 666, रकवा-2.50डी0, 2.50डी0 कुल रकवा-05 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 15/9/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। 15/9/22 अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.16 14:57:55 +05:30
Location: 192.168.100.2